प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 54 सन 2021
अनवान :–

1. रविन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 22.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 9/12 की कुल 6.9551हैक भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण श्यामलबागा हिसार दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की सही सकुनत ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर है यही सकुनत अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी की सकुनत ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की सकुनत तौर से दर्ज हुई है इसलिये प्रार्थी अपना सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी की सकुनत संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पैरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो एवं मजमे आम एव सरपंच की तस्दीक के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 9/12 की कुल 6.9551हैव भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी की सकुनत श्यामलबागा हिसार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसकी सकुनत ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर है यही सकनुत अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी की सकुनत ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर दर्ज है

Scanned with CamScanner

सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की सकुनत गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपनी सकुनत/निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है सकुनत /निवास स्थान संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 9/12 की कुल 6.9551हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की सकुनत/निवास स्थान श्यामलबागा हिसार दर्ज के स्थान पर ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ललानाबास दिखनादा

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/ 521 दिनांक :– 24-11-21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 54/2020 अनवानी रविन्द्र कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रसंग :– अनवान :–

1. रविन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 9/12 की कुल 6. 9551हैक भूमि में प्रार्थी की सकुनत/निवास स्थान श्यामलबागा हिसार दर्ज के स्थान पर ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ललानाबास दिखनादा..

Scanned with CamScanner